बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–2/अ0प्र0–4–154/2015 39 /पटना, दिनांक :– 22.6.2020

श्री पंचानन मुंशी, तत्कालीन कनीय अभियंता, देवरी प्रखंड, गिरीडीह के विरूद्ध देवरी प्रखंड अन्तर्गत विकास की कई योजनाओं के कार्यान्वयन में बिना कार्य कराये गबन करने संबंधी आरोपों के लिये दर्ज देवरी थाना कांड संख्या–86/93 दिनांक 12.10.1993 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखंड, राँची के पत्रांक 3476 अनु0 दिनांक 08.10.2015 द्वारा संबंधित कागजात ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराते हुए इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति की मांग की गयी।

2. उक्त आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–84 सह–पठित ज्ञापांक–277 दिनांक 22.02.2016 द्वारा श्री मुंशी के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखंड, राँची से प्राप्त कागजातों में वर्णित आरोपों पर श्री मुंशी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–249 सह–पठित ज्ञापांक–319 दिनांक 21.02.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग) का पत्रांक 2144 अनु0 दिनांक 23.06.2017 से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में योजनाओं के वांछित प्रतिवेदन/मापी पुस्त की सूचना वरीय पदाधिकारी को समर्पित नहीं किये जाने के कारण श्री मुंशी के विरूद्ध गठित आरोप को आंशिक प्रमाणित माना गया।

5. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 2627 अनु0 दिनांक 25.08.2017 द्वारा श्री मुंशी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री मुंशी के पत्रांक शून्य दिनांक 22.09.2017 द्वारा द्वितीय बयाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें मुख्यतः यह कहा गया कि मामले से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवरी जिनके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी थी, तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह का आदेश दिनांक 19.06.2015 के अनुसार आलोच्य योजनाओं में कार्य जून 1987 के बाद प्रारंभ हुआ है, जबकि वे माह जून 1987 तक ही देवरी प्रखंड में दैनिक वेतन भोगी कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत थे। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के विरूद्ध श्री मुंशी द्वारा कहा गया कि चूँकि FIR में दर्ज योजनाओं उनके पदस्थापन अवधि में प्रारंभ नहीं हुआ था तो इन योजनाओं के वांछित प्रतिवेदन/मापीपुस्त वे कैसे समर्पित करते।

7. इस बीच श्री मुंशी के दिनांक 31.10.2017 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप अधिसूचना ज्ञापांक–3636 दिनांक 18.12.2017 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

8. श्री मुंशी के विरूद्ध उक्त कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची से प्राप्त कागजातों के आधार पर किये जाने के आलोक में श्री मुंशी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं इनसे प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की प्रति ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को भेजते हुए मामले में मंतव्य तथा इनके विरूद्ध दर्ज थाना कांड की अद्यतन स्थिति की मांग विभागीय पत्रांक 124 अनु0 दिनांक 16.01.2018 से की गयी।

9. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची से वांछित मंतव्य अनेक स्मार पत्रों के बावजूद अप्राप्त रहने के आलोक में मामले की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत् मामले में दर्ज देवरी थाना कांड सं0–86/93 दिनांक 12.10.1993 के अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा श्री मुंशी को मापी पुस्तिका समर्पित नहीं करने एवं अग्रिम हेतु अनुशंसा करने का दोषी पाया गया है। यदि उनके पदस्थापन काल तक योजनाओं का कार्य नहीं प्रारम्भ हुआ था, फिर भी उन्हें शून्य मापी पुस्त एवं प्रतिवेदन समर्पित किया जाना चाहिए था, किन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री मुंशी के विरूद्ध गठित आरोप आंशिक प्रमाणित पाये गये हैं। अतएव श्री मुंशी का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

10. अतः उक्त के आलोक में श्री पंचानन मुशी, तत्कालीन कनीय अभियंता, देवरी प्रखंड, गिरीडीह सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोप के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन से अगले 01 (एक) वर्ष तक 5 (पाँच) प्रतिशत की कटौती।

19/06/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–4–154/2015 1169 /पटना, दिनांक :– 22.6.2020

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–4–154/2015 1169 /पटना, दिनांक :– 22.6.2020

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–4–154/2015 1169 /पटना, दिनांक :– 22.6.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री पंचानन मुशी, तत्कालीन कनीय अभियंता, देवरी

प्रखंड, गिरीडीह सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ पत्राचार का पता :– C/o श्री एल०बी० शरण, श्रीकुंज निवास, जय प्रकाश नगर, नियर पूर्णियाँ कॉलेज चौक, जिला–पूर्णियाँ पिन कोड–854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–4–154/2015 1169 /पटना, दिनांक :– 22.6.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखंड राँची को उनके पत्रांक–02(स्था0–04)–1159/15 ग्रा0का0वि0 3476 अनु0 दिनांक 08.10.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–4–154/2015 1169 /पटना, दिनांक :– 22.6.2020

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/06/2020

अभियंता प्रमुख